

डिक्री बमूकहमें इब्दाई  
( आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी )  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर  
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 176/2023

वादी

1. सुरेश पुत्र रामनाथ
2. बस्तीराम पुत्र रामनाथ
3. बुधा राम पुत्र रामनाथ जातियान जाट निवासीगण कसनाऊ, तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामनाथ पुत्र भोलाराम
2. लिछमादेवी पुत्री रामनाथ
3. कबु देवी पुत्री रामनाथ
4. ज्यानी पुत्री भोलाराम
5. सुवादेवी पुत्री भोलाराम
6. तुलछाराम पुत्र भोलाराम जातियान जाट निवासीगण कसनाऊ तहसील जायल जिला नागौर
7. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- \* 1- वादीगण की ओर से श्री रामप्रकाश बैन्दा एडवोकेट
- 2- प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बैन्दा व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 सुरेश के हक बंट कब्जे काश्त में मौजा कसनाऊ के खसरा नम्बर 438 रकबा 2.8085 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 147 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.8903 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 2 बस्तीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाऊ के खसरा नम्बर 145 रकबा 1.7725 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पूर्वी तरफ रकबा 0.8863 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 312 रकबा 3.3103 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.6551 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 3 बुधा राम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाऊ के खसरा नम्बर 145 रकबा 1.7725 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा पश्चिमी तरफ रकबा 0.8862 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शानुसार तथा खसरा नम्बर 312 रकबा 3.3103 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.6552 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा तथा सम्पूर्ण खसरे के दक्षिणी भाग पर 10 फुट जगह माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर  
(एस.टी.ओ.) जायल

4. प्रतिवादी संख्या 6 तुलछाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कसनाऊ के खसरा नम्बर 147 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में से रकबा 0.8903 हैक्टेयर माफिक नजरी नकशानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 क्रमशः रामनाथ, लिछमादेवी, कबु देवी, ज्यानी, सुवादेवी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी गण द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुरतनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
6. उक्त खसरान के बैंक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।
7. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर -  
फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीबल मेरे दस्तखत व मुहर -  
अदालत के आज दिनांक 30/8/24 को जारी किया गया



(अभिलाषा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिफ		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अभिलाषा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल